

20/11

उपखण्ड अधिकारी
18.1.19


20/11

उपखण्ड अधिकारी
10.5.19

23-1-19 वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिंगल से तलब की गई। अधिकार पत्र श्री अम्बालाल जाट अधिकृत ने पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उतिवादी जगदीश की मृत्यु हो चुकी है इसीलिए मैं अपने वाद पत्र को नोट प्रेस में स्वारिज करवाना चाहता हूँ। अतः वाद पत्र को नोट प्रेस में स्वारिज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मन्व किया। न्यायद्वि में वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा वाद पत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर नोट प्रेस में स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दफ्तर दारिफल हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

जाशयण शा

T2

23